

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10030/2025

Ranveer @ Ranjeet S/o Kamlesh Kumar, R/o Village Rasoolpura,
Post Jot, Tehsil Bhogaon, P.S. Bewar District Mainpuri, (Up)
(At Present Confined In Central Jail Ajmer).

-----Petitioner/Accused

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Devanshu Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP Mr. Narpatram, CI, SHO, PS Gegal, District Ajmer

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

10/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना गोगल जिला अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 184/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 103(1), 238(बी) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। गोगल से घटनास्थल की दूरी 22 किलोमीटर है। प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत हुए हैं, इसमें घटनास्थल जय झुलेलाल फैक्ट्री रिको एरिया गोगल में किसी व्यक्ति की आमद रफत का आना नहीं बताया है। घटनास्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति नहीं है। केवल नगर निगम अजमेर के सामने प्रार्थी/अभियुक्त आता हुआ बताया गया है, इसके अतिरिक्त कहीं भी प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति नहीं बताई गई है। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षीगण और प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं होते हैं।

प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 27.10.2024 से अभिरक्षा में है। प्रकरण में कुल 28 गवाह हैं, जिसमें 7 साक्षीगण के बयान लेखबद्ध हुए हैं, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि मृतक लवकुश का प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी से अवैध संबंध स्थापित करते हुए देखने पर प्रार्थी/अभियुक्त ने सुनियोजित तरीके से मृतक लवकुश की गमछे से गला घोटकर हत्या कर दी और साक्ष्य विलोपन के लिए मृतक लवकुश पर तारपीन का तेल डालकर आग से जला दिया तथा सुनियोजित तरीके से प्रार्थी/अभियुक्त ने स्वयं के मोबाइल फोन को दिल्ली शहर में घटना से पूर्व दिनांक 04.10.2024 को दिल्ली में बंद कर पुनः दिनांक 05.10.2024 को दिल्ली में चालू कर दिया, अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में अन्वेषण के पश्चात अन्वेषण अधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा घटनास्थल फैक्ट्री में अपनी पत्नी सहित रहने के दौरान अपनी पत्नी को मृतक लवकुश के साथ अवैध संबंध स्थापित करते हुए देखने पर मृतक लवकुश से द्वेषता रखकर सुनियोजित तरीके से घटनास्थल व घटनास्थल के आसपास में वीडियो कैमरों की भलीभांति जानकारी रखते हुए अपना मोबाइल फोन बंद करके घटनास्थल पर आकर मृतक लवकुश की गमछे से गला घोटकर हत्या कारित की तथा साक्ष्य विलोपन के लिए मृतक ने ज्वलनशील तारपीन तेल डालकर उसको आग में जला दिया। घटना घटित होने की दिनांक को प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति नगर निगम अजमेर के सामने वीडियो फुटेज पर देखी गई है। अन्वेषण के दौरान यह भी सामने आया है कि प्रार्थी/अभियुक्त अपनी पत्नी के साथ घटनास्थल फैक्ट्री में रहा और मृतक भी वहां रहा। प्रार्थी/अभियुक्त पर धारा

23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना के आधार पर उसका घटना में प्रयुक्त माचिस की डिब्बी और ज्वलनशील पदार्थ भी बरामद हुआ है, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त ने आग लगाकर मृतक को जलाया। प्रार्थी/अभियुक्त व मृतक साथ साथ में घटनास्थल जय झुलेलाल फैक्ट्री में कार्य करते थे। यह तथ्य भी अन्वेषण के दौरान सामने आया है। प्रार्थी/अभियुक्त के साथ उसकी पत्नी भी घटनास्थल जय झुलेलाल फैक्ट्री में निवास करती थी। अनुसंधान में यह तथ्य भी सामने आया है कि मृतक और प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी से अवैध संबंध करते देखने पर उसको डांट-फटकार कर उसने अपनी पत्नी को गांव छोड़ा। इस पर अगस्त 2024 के पश्चात मृतक व उसकी पत्नी के बीच कोई वार्ता नहीं पाई गई। इस प्रकरण में भी अन्वेषण अधिकारी के बयान लेखबद्ध नहीं हुए हैं और अभियोजन पक्ष की ओर से जो 7 साक्षीगण परीक्षित हुए हैं, उन साक्षीगण के गुणावगुणों पर इस स्तर पर विवेचन नहीं किया जा सकता है। अन्वेषण अधिकारी व महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान लेखबद्ध होने शेष हैं।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **रनवीर उर्फ रणजीत पुत्र कमलेश कुमार** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J